

समाहरणालय, कटिहार

आपदा प्रबंधन प्रशाखा



कॅवल तनुज, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार

☎ :- 06452-230581(O) 06452-230583(R)
☎ :- +91-9473191375 फैक्स :- 06452230880
E-mail :- d.m.katihar.bih@gmail.com

--: आदेश :-

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1252/आ०प्र० दिनांक-06.04.2020 एवं 1285/आ०प्र० दिनांक-09.04.2020 के आलोक में CFMS Order No.-52 दिनांक- 05.04.2020 एवं 330 दिनांक-10.04.2020 के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात, लघुशीर्ष-112-जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष-0002-NA, मांग संख्या 39, विपत्र कोड 39- 2245021120002, Allotment ID-19477 & 96003, विषय शीर्ष-35-01-नगद/वस्तुएँ के अन्तर्गत मो० 10,00,000.00 + 10,00,000.00 = कुल 20,00,000.00 (बीस लाख) रूपये मात्र आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त आवंटन में से निम्नांकित अंचलाधिकारी, कटिहार जिला को उनके नाम के सामने वर्तमान में अंकित राशि को उपावंटित करते हुए निकासी करने की स्वीकृति दी जाती है।

निदेश दिया जाता है कि इस उपावंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक-1387/आ०प्र० दिनांक-19.04.2020 एवं अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक-99/आ०प्र० दिनांक-20.04.2020 के आलोक में जनसंख्या का निष्क्रमण इकाई मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जिलान्तर्गत कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने के निमित्त संचालित आपदा राहत केन्द्र/सीमा आपदा राहत केन्द्र एवं गाँवों के विद्यालय के Quarantine केन्द्र में सूखा राशन, जेनरेटर, पंडाल, ईंधन, दरी, चटाई, रौशनी, SDRF/NDRF का गमनागमन (Movement), Sample Collection तथा सैनेटाईजर, मास्क एवं सेनेटरी नैपकीन आदि में हुए/होनेवाले व्यय का भुगतान/समायोजन के लिए निर्गत किया जा रहा है। उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को दिनांक 15.03.2021 तक अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखें तथा व्यय नहीं होने की स्थिति में दिनांक 15.03.2021 तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।


क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा०/अंचलाधिकारी का नाम	विभाग से जिला को प्राप्त आवंटन	2245-02-112-0002-NA, जनसंख्या का निष्क्रमण (विषय शीर्ष-35- 01-नगद/वस्तुएँ) इकाई मद में उपावंटित राशि			अभ्युक्ति (अवशेष राशि)
			पूर्व	वर्तमान	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंचलाधिकारी, कटिहार	20,00,000/-	-	1,00,000.00	1,00,000.00	4,50,000/-
2.	अंचलाधिकारी, हसनगंज		-	75,000.00	75,000.00	
3.	अंचलाधिकारी, डडखोरा		-	75,000.00	75,000.00	

4.	अंचलाधिकारी, कोढ़ा	20,00,000/-	-	75,000.00	75,000.00	4,50,000/-	
5.	अंचलाधिकारी, फलका		-	1,50,000.00	1,50,000.00		
6.	अंचलाधिकारी, समेली		-	75,000.00	75,000.00		
7.	अंचलाधिकारी, बरारी		-	1,50,000.00	1,50,000.00		
8.	अंचलाधिकारी, कुर्सेला		-	75,000.00	75,000.00		
9.	अंचलाधिकारी, प्राणपुर		-	75,000.00	75,000.00		
10.	अंचलाधिकारी, मनसाही		-	75,000.00	75,000.00		
11.	अंचलाधिकारी, मनिहारी		-	1,50,000.00	1,50,000.00		
12.	अंचलाधिकारी, अमदाबाद		-	75,000.00	75,000.00		
13.	अंचलाधिकारी, आजमनगर		-	1,50,000.00	1,50,000.00		
14.	अंचलाधिकारी, कदवा		-	1,00,000.00	1,00,000.00		
15.	अंचलाधिकारी, बलरामपुर		-	75,000.00	75,000.00		
16.	अंचलाधिकारी, बारसोई		-	75,000.00	75,000.00		
कुल योग			-	15,50,000.00	15,50,000.00		

मो० (पन्द्रह लाख पचास हजार) रूपये मात्र।


(नोट - उक्त आवंटन में नगर निगम एवं नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत संचालित सामुदायिक रसोई/आपदा राहत केन्द्र का उपर्युक्त मद में व्यय हेतु राशि निहित है एवं व्यय निम्नानुसार किया जाना है:-

- (i) नगर निगम, कटिहार का व्यय अंचलाधिकारी, कटिहार।
- (ii) नगर पंचायत, बारसोई का व्यय अंचलाधिकारी, बारसोई।
- (iii) नगर पंचायत, मनिहारी का व्यय अंचलाधिकारी, मनिहारी।


 जिला पदाधिकारी,
 कटिहार।

ज्ञापांक.....103...../आ०प्र० II - 25/2020, दिनांक.....22/4/2020

- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित अंचल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदा० (स्थापना), शिक्षा विभाग, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कटिहार एवं बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाहरणालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- मेकर/चेकर, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


 जिला पदाधिकारी,
 कटिहार।